



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 25.11.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को 02 अदद देशी तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण को दिनांक 24.11.2024 को बहोरिकपुर थाना जहानगंज के पास से 02 अदद देशी तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राहुल उर्फ रोहित पुत्र श्यामपाल यादव निवासी किनौडी थाना अलीगंज जनपद एटा ।
2. राहुल उर्फ लवलेश पुत्र कलक्टर सिंह यादव निवासी ग्राम गनेशपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़
3. अतुल पुत्र रामगोपाल यादव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी गदनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा ।

घटना का विवरण:- दिनांक 24.11.2024 को थाना जहानगंज पुलिस तलाश वाछिंत, गस्त/चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में मामूर थे तभी मुखबिर ने आकर सूचना दी कि तीन व्यक्ति जिनके पास नाजायज तमंचे व कारतूस है, इस समय मोहम्मदाबाद रोड पर बने दीक्षित खाद भण्डार श्री सागर सिंह सोमवती पीजी कालेज के पास बहोरिकपुर के बेसमेन्ट में है। जो शायद किसी घटना कारित करने की फिराक में है। मुखबिर खास की सूचना पर थाना जहानगंज पुलिस द्वारा दबिश देकर उक्त 03 अभियुक्तगण 1.राहुल उर्फ रोहित पुत्र श्यामपाल यादव निवासी किनौडी थाना अलीगंज जनपद एटा, 2.राहुल उर्फ लवलेश पुत्र कलक्टर सिंह यादव निवासी ग्राम गनेशपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़, 3.अतुल पुत्र रामगोपाल यादव निवासी गदनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा को 02 अदद देशी तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हमने शौकिया तौर पर तमंचा रख लिया था, हमसे गलती हो गयी, भविष्य में दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, बाकी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त राहुल उर्फ रोहित पुत्र श्यामपाल यादव का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 136/24 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना अलीगंज जनपद एटा।
2. मु0अ0सं0 116/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नयागांव जनपद एटा।
3. मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
4. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त राहुल उर्फ लवलेश का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 105/20 धारा 147/148/325/352 थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
3. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त अतुल पुत्र रामगोपाल यादव का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
2. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

1. 02 तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र पटेल
2. उ0नि0 श्री रामबाबू सिंह
3. हे0का0 विनय चौहान
4. हे0का0 सतेन्द्र सिंह
5. हे0का0 मंगेश कुमार
6. का0 आशीष वर्मा
7. का0 मंजीत सिंह
8. का0 सुनील कुमार

मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :- 25.11.2024

थाना अमृतपुर पुलिस टीम द्वारा धारा-109(1)/352 BNS में नामजद अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी रायफल मय 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस टीम ने दिनांक 24.11.2024 को थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-108/24 धारा-109(1)/352 बीएनएस बनाम सुनीलदत्त तिवारी आदि 04 नफर में नामजद अभियुक्त सुनील तिवारी पुत्र यदुनाथ निवासी ग्राम फखरपुर थाना अमृतपुर को गिरफ्तार कर अभियुक्त सुनील तिवारी उपरोक्त की निसांदेही पर अभियुक्त के घर से 01 लाइसेंसी रायफल मय 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद कर अन्तर्गत धारा -109(1)/352 बीएनएस व 25/27/30 आर्म्स एक्ट के तहत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुनील तिवारी पुत्र यदुनाथ निवासी ग्राम फकरपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- अभियुक्तगणों द्वारा वादी के परिवारीजनो के साथ गाली-गलौज कर अभियुक्त सुनील दत्त द्वारा जान से मारने की नियत से अपनी लाइसेंसी रायफल से फायर कर देने जिससे वादी के पुत्र अनुपम के दाहिने बाजू में गोली लगने से घायल कर देने के सम्बंध में दिनांक 24.11.2024 को थाना अमृतपुर पर मु0अ0सं0-108/24 धारा-109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त सुनील तिवारी उपरोक्त ने पूछने पर अपने जुर्म से इकबाल किया ।

अभियुक्त सुनील तिवारी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-108/24 धारा-109(1)/352 व बीएनएस 25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 लाइसेंसी रायफल
2. 02 खोखा कारतूस
3. 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ ।
2. उ0नि0 विमल कुमार कस्बा चौकी इंचार्ज थाना अमृतपुर ।
3. हे0का0 सनोज कुमार ।
4. का0 नरेश कुमार ।

मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़



